न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2021 (राजसमन्द आर्डर)

मोहम्मद साजिद पिता मुस्ताक मुसलमान, जाति मुसलमान, निवासी आरेठ की भांगल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मुस्ताक पिता इब्राहिम मुसलमान, जाति मुसलमान, निवासी आरेठ की भांगल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
24–09–2021 प्रकरण संख्या 21/2018

———::———

उपस्थित :– 1– श्री गिरजा शंकर मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 19–12–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 पिता पुत्र होकर गांव आरेठ की भागल में रहते हैं। प्रार्थी का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष इब्राहिम जी के तीन पुत्र मोहम्मद खां (लाऔलाद फोत), मुस्ताक व हारून हुए। प्रार्थी साजिद मुस्ताक का पुत्र है। इब्राहिम का पुत्र मो[illegible]से मुस्ताक व हारून को 1/2, 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ। प्रार्थी [illegible]ताक[illegible] जाईन्दा पुत्र होकर उसकी विवाहिता पत्नी श्रीमती जे[illegible] पुत्र है, [illegible]का इन्तकाल प्रार्थी की एक माह की अवस्था में ही हो गया[illegible]रिशिष्ट "अ" में वर्णित [illegible]नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

524/274 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मौरूसी भूमि होने से प्रार्थी का जन्म से अधिकार है, परन्तु विपक्षी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने से कुछ व्यक्तियों के बहकावे में आकर पैत्रृक सम्पदा को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान मुस्लिम होने से मुस्लिम विधि से अधिशाषित होते है। मुस्लिम विधि में सहदायिकी के आधार पर कोई हक व अधिकार पिता के जीवनकाल में पुत्र को प्राप्त नहीं होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–09–2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–11–2021 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होकर अपीलान्ट की मौरूसी भूमि है, जिस पर उसका जन्म से अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने अपनी दूसरी पत्नी की संतान को लाभ पहुंचाने की गरज से प्रार्थी को मौके से बेदखल कर वादग्रस्त सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जहां प्रार्थी/अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है वहां पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में साबित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र मुस्लिम विधि का हवाला देकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के 324 वर्गमीटर भूमि का आवासीय रूपान्तरण होना मानकर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं माना है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कृषि भूमि में आवासीय या पशु घर हेतु कुछ भूमि रूपान्तरित हो जाये या मकान बनाकर रिहायशी उपयोग में लिया जावे तो भी उक्त भूमि का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का ही होता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि पक्षकारान मुस्लिम होकर मुस्लिम विधि से शासित होते हैं, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विवादित आराजी नंबर 524/274 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में से 324 वर्गमीटर भूमि विपक्षी संख्या 1 व उसके भाई हारून द्वारा आवासीय में रूपान्तरित करायी गयी है, जो राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। इसके अलावा इस आराजी के सहखातेदार हारून को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट व विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 आपस में पिता पुत्र होकर जाति से मुस्लिम हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 मुस्लिम हैं तथा मुस्लिम विधि में सहदायिकी के आधार पर कोई हक अधिकार पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्रियों को नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने कुछ भूमि आवासीय रूपान्तरित हो जाने से आवासीय भूमि की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होना मानकर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना मानकर प्रार्थी/अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–09–2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 19–12–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर